कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी जनपद उधम सिंह नगर।

ईमेल–cfoudn.ukfs@gmail.com

पत्रांकः कमांक–90, न–3 / एफ0एस0 / ऑनलाईन / 2023 दिनांक मई 24, 2025

स्वामी / प्रबन्धक
मै0 श्री गुरू रामदास एकेडमी
ग्राम–गढ़ीनेगी जसपुर
ऊधम सिंह नगर।

विषय :– अग्निषमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।

आपके ऑनलाईन प्रार्थनापत्र यूआईडी नं0–47698205 दिनांक 19–02–2025 के अनुसार मै0 श्री गुरू रामदास एकेडमी ग्राम–गढ़ीनेगी जसपुर ऊधम सिंह नगर की अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण प्रभारी अग्निशमन केन्द्र जसपुर द्वारा किया गया। प्रभारी अग्निशमन केन्द्र जसपुर की निरीक्षण आख्या के अनुसार स्थापित अग्निशमन यन्त्र कार्यशील दशा में हैं।

निर्देशित किया जाता है कि अग्निषमन उपकरणों को सदैव कार्यशील दशा में रखेंगे। संस्थान के विस्तार / अतिरिक्त किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन किया जाता है, तो अग्निसुरक्षा प्रमाण पत्र नये सिरे से लिया जाना अनिवार्य है, साथ ही अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त संस्थान को प्रत्येक 06 माह में भवन अथवा परिसर में अग्निसुरक्षा व्यवस्था एवं उपकरणों की स्थिति संतोषजनक एवं कार्यशील होने का स्व–घोषणा पत्र / **Self Audit Report** इस कार्यालय को ऑनलाईन / ऑफलाईन माध्यम से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अधोहस्ताक्षरी द्वारा किसी भी दिवस आपके संस्थान का निरीक्षण किया जा सकता है।

अतः मै0 श्री गुरू रामदास एकेडमी ग्राम–गढ़ीनेगी जसपुर ऊधम सिंह नगर को अग्निशमन सुरक्षा संबंधी अनापत्ति प्रमाण पत्र 03 वर्ष हेतु दिनांक 24 मई 2025 से 23 मई 2028 तक इस आधार पर प्रदान किया जाता है कि निम्न शर्तों का पालन किया जाना आवष्यक होगाः–

1. सभी बाहर निकलने या बचाव के रास्ते, सैटबैक तथा सीढ़ियां प्रत्येक दशा में अवरोध मुक्त रखी जाय।
2. आपके संस्थान के सभी कर्मचारियों को उपलब्ध अग्निशमन यन्त्रों का तथा सुरक्षित निष्क्रमण प्रक्रिया (Evacuation) का ज्ञान होना आवश्यक है।
3. सभी अग्निशमन यन्त्रों को कार्यशील दशा में रखने की जिम्मेदारी प्रबन्धन की होगी। अतिरिक्त अग्निशमन यन्त्रों की स्थापना का अर्थ यह नहीं लगाया जाय कि अग्निकाण्ड की घटना नहीं हो सकती। अतः प्रबन्धन को अग्निरोधक उपाय सदैव करते रहना चाहिए।
4. भवन / संस्थान में विद्युत यन्त्रों की स्थापना, वैंटीलेशन, स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी, सैट बैक एरिया व निर्माण, Land Use Change में बदलाव आदि का सत्यापन संबंधित अधिकारी से कराया जाय।
5. संस्थान के विस्तार / अतिरिक्त निर्माण करने से पूर्व इस कार्यालय से मानचित्र अनुमोदित करवाकर मानक के अनुसार अतिरिक्त अग्निशमन व्यवस्था की जानी आवश्यक होंगी।
6. विद्युत स्विच वोर्ड / विद्युत पैनल के आस–पास किसी भी प्रकार की ज्वलनशील सामग्री का भण्डारण नही किया जाएगा, भण्डारण किये जाने पर यह प्रबन्धन की लापरवाही मानी जाएगी तथा भविष्य में अग्निदुर्घटना घटित होने पर बीमा दावे हेतु संस्तुति नही की जाएगी।
7. संस्थान में की जाने वाली विद्युत व्यवस्था एम0सी0बी0 तथा ई0एल0सी0बी0 पर आधारित होगी।
8. संस्थान के प्रथम तल में निकासी हेतु अतिरिक्त जीने का प्राविधान करते हुए, इस कार्यालय को अवगत कराना अनिवार्य होगा।

(संजीव कुमार)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
उधमसिंहनगर

Scanned with OKEN Scanner